न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
33/2024	28/10/2024	24/12/2025

1. गिर्राज पुत्र स्व. श्री तेजमल जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी गणेशखेड़ा थाना अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

आवेदक

बनाम

1. बृजराज चौधरी पुत्र गोविन्द लाल जाति जाट निवासी गणेशखेड़ा थाना अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. महेन्द्र नायक पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नायक निवासी गणेशखेड़ा थाना अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
3. श्रीमान सहायक अभियंता सिंचाई विभाग (सी.ए.डी) मांगरोल जिला बारां राज,
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय, पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टेनेन्ही एक्ट खेत पर जाने के रास्ते के सुखाचार को खुलासा कराये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी 598 वाके माल मौजा गणेशखेड़ा में स्थित है जिस खेत पर आने जाने का कदीमी रास्ता ड्रेन की भूमि के सहारे सरकारी भूमि में होकर है। जो लगभग 1000 मीटर लम्बा तथा 7 मीटर चौड़ा सरकारी. भूमि में होकर है। जिसे अनावेदकगण 1 लगायत 2 ने अवरुद्ध कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और प्रार्थी को निकलने में व खेत पर आने जाने में रोक दिया है। जबकि यह रास्ता कदीमी रास्ता है जो खसरा नं. 265 सरकारी भूमि में होकर जाता है। अनावेदकगण 1 व 2 ने उक्त सरकारी रास्ते खसरा नं. 265 माल मौजा गणेशखेड़ा को फाड़ कर कब्जा करके अपने खेत में मिलाना चाहते है तथा जब आवेदक ने दिनांक 23–5–2024 को इसका विरोध किया तथा इसके पूर्व भी कई बार विरोध कर चुका है। जो अनावेदकगण 1 व 2 प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करने पर उतारु हुए और आवेदक को मौखिक रूप से धमकी कि तू इधर होकर निकला है तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तेरे आने जाने के तेरे खेत खसरा नं. 598 के आने जाने के रास्ते पर हमने कब्जा कर लिया है तेरी मर्जी पडे जो कर। अभी दिनांक 7/7/2004 को अन्तिम बार निवेदन करने पर भी रास्ता खुलासा नहीं किया। आवेदक को अपने खाते एवं कब्जे काश्त की एक खसरा नं. 598 वाके माल मौजा गणेशखेड़ा पर फसल लाने ले जाने व खेती करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में समय समय पर आवेदक द्वारा राजस्व कर्मचारी व सिंचाई विभाग के कर्मचारी को अवगत कराया गया। किन्तु आज तक आवेदक के रास्ते को जिस पर आवेदक अपने खेत पर आता जाता है खुलासा करवाने की कार्यवाही अमल मे नही ली गई। न ही कोई कोशिश की गई है। आवेदक के उक्त खेत में पहुंचने व कृषि जींस लाने ले जाने में भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। यह रास्ता कदीमी रास्ता है। जिसे अनावेदक 1 व 2 से उनका कब्जा हटवाया जाकर खुलासा करवाया जाना जरुरी है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आली जनाब से गुजारिश है कि न्यायहित में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 598 वाके माल मौजा गणेशखेड़ा पर आने जाने का सरकारी रास्ता जो सरकारी ड्रेने के सहारे होकर सरकारी भूमि खसरा नं. 265 में है को खुलासा करवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने उक्त खेत पर आ जा सके। फसल लाने ले जाने में रुकावट नहीं हो तथा खाद बीज डालने में परेशानी

नही तथा बाधा उत्पन्न नही हो। यह रास्ता लगभग 1000 मीटर लम्बा तथा 7 मीटर चौड़ा जिसे खुलासा करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की मेहरवानी फरमाये।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री एस0टी0एच0 आब्दी एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार मुताबिख ग्राम गणेशखेडा में ख0नं0 598 रकबा 2.63 है0 का मौका देखा गया। वाद पत्र अनुसार वादी द्वारा ख0नं0 265 में होकर अपनी कृषि आराजी ख0नं0 598 रकबा 2.63है0 तक पहुचने हेतु रास्ता चाहा गया है परन्तु मौके पर वादी द्वारा अवगत करवाया गया है कि ख0नं0 598 में ख0नं0 601 रकवा 0.36है0 किस्म गै0मु0 ड्रेन में से गुजरने वाले सार्वजनिक रास्ते का खुलासा करवाना चाहता है। मौके की स्थिति अनुसार वादी के खेत ख0नं0 598 तक पहुंचने हेतु गै0मु0 ड्रेन ख0नं0 601 से होकर कच्चा रास्ता बना हुआ है। जिस पर होकर वादी अपने खेत तक आता जाता था परन्तु आगे के खेत वाले बृजराज चौधरी व महेन्द्र नायक द्वारा ड्रेन पर होकर गुजरने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर अवरूद्ध किया है जिसके कारण वादी अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहा। अतः प्रकरण 251 ए का न होकर, ख0नं0 601 किस्म गै0मु0 ड्रेन से होकर गुजरने वाले रास्ते पर अतिक्रमण से संबंधित है। वादी भी केवल ड्रेन पर होकर गुजरने वाले रास्ते को खुलासा करवाना चाहता है, नया रास्ता नहीं चाहता है। उक्त ड्रेन का खुलासा संबंधित सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहेगा।

चूंकि चाहे गए रास्ता ख0नं0 601 किस्म गै0मु0 ड्रेन की किस्म गै0मु0 ड्रेन है। जो पानी का प्राकृतिक बहाव है एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिसकी किस्म बदली नहीं जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा